Nominations by the Government of Jammu and Kashmir

324. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some nominations are made by Jammu and Kashmir Government for admission to Medical and Engineering Colleges in the country every year;

(b) if so, what is the number of seats for which nominations are made for admission in M.B.B.S., B.D.S. and Engineering courses and which are the colleges/States to which such nominations are made annually;

(c) the details of those nominations in 1989, 1990 and 1991;

(d) what is the criterion followed for such nominations; and

(e) whether the Government propose to nominate only state candidates who figure in the merit-list of the competitive examinations held for the purpose of selections next below the cut off merit line?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (e) The Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Health and Family Welfare allocate certain seats to the Govt. of Jammu and Kashmir in the field of Engineering and Medicine respectively for making nominations to the institutions where the seats have been earmarked. The number of seats allocated in Engineering during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 were 11, 15 and 15 respectively. The seats in medical subjects allocated during 1991-92 were 26 for M.B.B.S and 3 for B.D.S. respectivaly. No seats were allocated in medical subjects during 1989-90 and 1990-91.

खनिजों पर रायल्टी

325. **श्री लक्खीराम अग्रवाल :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को कोयला तथा अन्य खनिजों पर देय रायल्टी की दरों में प्रत्येक तीन वर्षों के बाद संशोधन करना होता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रायल्टी की दरों में कब से संशोधन नहीं किया ;

(ग) सरकार द्वारा कोयला तथा अन्य खनिजों की रायल्टी की दरों में समय पर संशोधन न किये जाने के कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) क्या सरकार शीघ्र ही संशोधित दरों पर रायल्टी अदा करना आरम्भ करेगी और बकाया राशि भी जारी करेगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार प्रधान खनिजों पर रायल्टी दरों को बढ़ा अथवा घटा सकती है; किन्तु केन्द्र सरकार रायल्टी दर में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक वृद्धि नहीं कर सकती ।

(ख) कोयला तथा अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में किए गए संशोधनों की तारीखें इस प्रकार हैं :—

खनिज का नाम	अंतिम संशोधन की तारीख	वह तारीख जिससे रायल्टी (दरों में वृद्धि देय थी)
कोयला	1-8-1991	13-2-1985
लिग्नाइट*	21-7-1990	—
अन्य खनिज	17-2-1992	5-5-1990

*लिग्नाइट को 21-7-1990 की अधिसूचना में पहली बार विशेष रूप से शामिल किया गया था ।

(ग) कोयला और अन्य खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन न किए जाने से हानि निम्नलिखित कारणों से काल्पनिक है–

(1) अधिनियम में हर तीन वर्ष की समाप्ति पर वृद्धि करना आदेशात्मक प्रावधान नहीं है; और

(2) यदि रायल्टी दरों में पहले संशोधन किया गया होता तो ये दरें बाद में अधिसूचित दरों से भिन्न होतीं।

(घ) केन्द्र सरकार, प्रधान खनिजों की रायल्टी दरें अधिसूचित करती है, किन्तु यह राशि राज्य सरकारों द्वारा सीधे ही पट्टाधारकों से वसूल की जाती है और इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रायल्टी की राशि जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

Exploration of minerals

326. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether thare is any proposal to permit the mining companies abroad to undertake mineral exploration activities in India; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सोने की खोज

327. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वर्ण खानों से सोने का पता लगाने के लिए विदेशी मशीनों का किन-किन स्थानों पर प्रयोग किया गया था ;

(ख) इन यंत्रों का उपयोग करने से कितनी सफलता मिली है और कितना सोना प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उपलब्धों जानकारी के अनुसार, देश में स्वर्ण खानों मे सोने का पता लगाने के लिए विदेशी मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

Allocation of Steel to Arunachal Pradesh

328. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have made allocation of steel and C.G.I. sheets to Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91 and 1992 so far;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the total quantum of each quota;

(d) whether such quota is directly collected by the State Government; and

(e) if so, the details thtreof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) Supply of various steel items including galvanised sheets are made by the main producers to Arunachal Pradesh on the basis of supply plans made by the Development Commissioner for Iron and Steel in favour of the nodal authority (for Government Departments, PSUs, etc.) and allocations in favour of the Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Limited (for small scale industries). The year-wise